भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्नल संख्या,**737**

जिसका उत्तार शुक्रवार, 7 फरवरी, 2025/18 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है।

डीएपी उर्वरक का उत्पानदन

737. श्री नवीन जिंदल:

क्याी रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान 31 दिसंबर , 2024 तक देश में उत्पावदित डीएपी की कुल मात्रा का वर्ष-वार ब्यौ ूरा क्यार; है
(ख) चालू वर्ष और आगामी तीन वर्षों के दौरान डीएपी का अनुमानित घरेलू उत्पा2दन कितना है ;
(ग) क्या डीएपी का घरेलू उत्पाएदन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्ती है , यदि नहीं, तो इसमें कितनी कमी है और इसे किस तरह से पूरा किया जा रहा है तथा देश कब तक डीएपी उत्पामदन्में ''आत्म निर्भर'' हो जाएगा;
(घ) क्याउ डीएपी का एक महत्व पूर्ण घटक फॉस्फोनरिक एसिड कथित तौर पर ईवी बैटरी उद्योग में उपयोग के लिए भेजा जा रहा है; और
(ड.) यदि हां , तो क्याव फॉस्फोणरिक एसिड के इस उपयोग से डीएपी का घरेलू उत्पारदन प्रभावित होगा और यदि हां , तो सरकार इन प्रतिस्पयर्धी दावों से किस तरह निपटने की योजना बना रही है?

उत्तहर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यप मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): वर्ष 2019-20 से मौजूदा वर्ष 2024-25 (31 दिसंबर 2024 तक) तक पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में उत्पादित डीएपी की वर्षवार कुल मात्रा निम्नानुसार दी गई है:

वर्ष	**डीएपी का उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)**
2019-20	45.5
2020-21	37.7
2021-22	42.2
2022-23	43.5
2023-24	42.9
2024-25 (31 दिसंबर, 2024 तक)	31.5

(ख): मौजूदा वर्ष 2024-25 और आगामी तीन वर्षों के दौरान डीएपी का अनुमानित घरेलू उत्पादन निम्नाकनुसारहै:

वर्ष	**डीएपी का अनुमानित (अनंतिम) उत्पादन (आंकड़े एलएमटी में)**
2024-25	40.15
2025-26	40.30
2026-27	40.45
2027-28	40.60

(ग): वर्ष 2023-24 के दौरान डीएपी की आवश्यकता 110.18 एलएमटी थी, जिसके मुकाबले घरेलू डीएपी उत्पादन 42.96 एलएमटी था और डीएपी में मांग-आपूर्ति के अंतर को आयातों और राज्यों में मौजूदा स्टॉक के माध्यम से पूरा किया गया। पीएण्डके उर्वरकों के संबंध में, सरकार ने फास्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएण्डके) उर्वरकों के लिए दिनांक 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत, अधिसूचित पीएण्ड।के उर्वरकों पर उनकी पोषकतत्वे मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2024-25 में, सरकार ने किसानों को सस्ती कीमतों पर डीएपी की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने और कृषि क्षेत्र एवं संबंधित गतिविधियों का समर्थन करने और देश में खाद्य सुरक्षा परिदृश्य को सुदृढ़ करने के लिए पीएण्डके उर्वरक कंपनियों को ₹ 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर पर दिनांक 01.04.2024 से डीएपी की वास्तविक पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) बिक्री पर एनबीएस दरों के अतिरिक्त डीएपी पर एक-बारगी विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। पीएण्डके विनियंत्रित क्षेत्र है और उर्वरक कंपनियां बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार उर्वरकों की घरेलू उत्पादन क्षमताओं का उत्पादन/आयात/विकास करती हैं। इसके अलावा, उत्पादन को बढ़ावा देने और उर्वरक उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से, अनुरोधों के आधार पर, एनबीएस सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि को अभिचिह्नित किया गया/रिकार्ड में लिया गया है।

(घ): डीएपी के उत्पादन के लिए प्रयुक्त फॉस्फोरिक एसिड की गुणवत्ता ईवी बैटरी उद्योग में अपेक्षित गुणवत्ता से भिन्न है। डीएपी उत्पादन में मर्चेंट ग्रेड फॉस्फोरिक एसिड का उपयोग होता है जबकि ईवी बैटरी उद्योग के लिए विशुद्ध फॉस्फोरिक एसिड की आवश्यकता होती है। इस विभाग में ऐसे किसी विपथन की सूचना नहीं है।

(ड.): उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

******